डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी:–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 328/2018

1. साहब सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. शिवराजसिंह } पि0 दर्शनसिंह
2. जगराजसिंह }
3. जसपालकौर पत्नी दर्शनसिंह

} जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 1 टीएलडब्ल्यू बी के खाता सं0 146/133 के प0न0 238/299 मु0 26 किला नं0 4,13, प0न0 239/299 मु0 27 किला नं0 23 वादी साहबसिंह को तथा चक नं0 5 टीएलडब्ल्यू के खाता सं0 247 में कुल 1.455 है0 कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 1 शिवराजसिंह व प्रतिवादी सं0 2 जगराजसिंह को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 1 टीएलडब्ल्यू बी के खाता सं0 146 में से शिवराजसिंह,जगराजसिंह का हिस्सा कम, व चक नं0 5 टीएलडब्ल्यू के खाता सं0 247 में से साहबसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षाकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 30.0.0.18...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....30.0.0.18...को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner